माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

website-msuniversity.ac.in Gmail ID – ar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 13 /66 / स्वे0 / MSU/2025–26 दिनांक: 07 /04/2025

कार्यालय–ज्ञाप

एतत्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एंव शासनादेश संख्या–2/2020/226/सत्तर–2–2020–18(31)/2018, दिनांक 13 मई, 2020 के आलोक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्ववित्त–पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की सेवा सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। इन महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक संस्था के प्रबंध तंत्र को तीन माह का नोटिस देकर सेवा से त्यागपत्र दे सकता है। यदि प्रबंध तंत्र शिक्षक के कार्य से संतुष्ट न हो तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सम्बन्धित शिक्षक को सेवा से हटा सकते है। परन्तु शिक्षक को सेवा से हटाये जाने से पूर्व मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त प्रक्रिया का बिना पालन किये हुये शिक्षकों द्वारा दिये गये त्यागपत्र अथवा प्रबन्ध तंत्र द्वारा शिक्षक को निष्कासित किये जाने की कार्यवाही शून्य होगी।

कुलसचिव

O/C 07.04.25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक के निष्कासन की स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुये प्रबंध तत्र से प्रस्ताव पास कर विश्वविद्यालय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। उक्त प्रक्रिया के बिना शिक्षक के निष्कासन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही शून्य होगी।
02. समस्त शिक्षकगण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय को सीधे प्रेषित किसी भी त्यागपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय को सीधे प्रेषित त्यागपत्र शून्य समझे जायेगें।
03. परीक्षा नियंत्रक।
04. वित्त अधिकारी।
05. उपकुलसचिव।
06. समस्त सहायक कुलसचिव।
07. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
08. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

O/C 07.04.25